

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/1602

दिनांक 26/11/2021

प्रार्थीगण :-

- 1.गेमराराम पुत्र चतरा
- 2.धर्माराम
- 3.हरजीराम
- 4.रुगाराम पि. खेराजराम, जाति मेघवाल निवासी अली की ढाणी (देदूसर) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

- 1.कचराराम पुत्र प्रभूराम
- 2.धोधाराम पुत्र टमाराम
- 3.पनीदेवी पत्नि खेराजराम
- 4.गुणेशा पुत्र पिसाराम, जाति मेघवाल, निवासी अली की ढाणी (देदूसर), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 75/2020

दिनांक : 26.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा अली की ढाणी के खेत खसरा सं. 556/340 रकबा 40.00 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/1603 to 1606
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गेमराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण कचराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 26/11/2021



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन